



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/पीआरएन-दक्षिण-प्रथम/2024/डी- 204

दिनांक:- 6-2-2024

M/S Aaradhya Govind Developers जरिये पार्टनर
श्री मुकेश कुमार टोडावत पुत्र श्री नारायण लाल टोडावत,
पता:-बी-59, गोविन्द नगर, गोकुलपुरा, कालवाड रोड,
झोटवाडा, जयपुर।

विषय - शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना "अशोक विहार" (ग्राम मान्यावास) के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 19 एवं 20, क्षेत्रफल 772.37 वर्गमीटर (923.76 वर्गगज) का बहु-आवासीय (फ्लैट्स) भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

आप द्वारा दिनांक 01.02.2024 को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु किये गये आवेदन अनुसार शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना "अशोक विहार" (ग्राम मान्यावास) के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 19 एवं 20, क्षेत्रफल 772.37 वर्गमीटर (923.76 वर्गगज) (बेसमेंट + स्टिल्ट + 18 मीटर) का बहु-आवासीय (फ्लैट्स) का भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति जोनल लेवल कमेटी के निर्णय दिनांक 02.02.2024 के द्वारा किया गया है। जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 02.02.2024 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय भूखण्ड पर बहु-आवासीय (फ्लैट्स) भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गई है:-

1. यह भवन अनुज्ञा 07 वर्ष तक प्रभावी हैं।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत भवन मानचित्र जविप्रा भवन अधिनियम 2020 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भवन मानचित्र के आदेशों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. भवन विनियम 2020 के विनियम 10.11.2 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. भवन विनियम 2020 के विनियम 10.11.4 के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. भवन विनियम 2020 के विनियम 10.11.5 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. भवन विनियम 2020 की धारा 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा जविप्रा विनियम 2020 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें संबंधित जोन के उपायुक्त एवं प्रवर्तन अधिकारी के टेलिफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जावेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूस्वामी, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा।
10. आप द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर रीजन भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण का प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से प्राधिकरण को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर रीजन भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं खिड़कियां इस प्रकार लगाए कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हो।
14. भू-स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
15. भू-स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

AARADHYA GOVIND DEVELOPERS

Mukesh
PARTNER

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय} : फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए प्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
19. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
20. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कण्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जाये।
21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
23. भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भव का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास का प्लान (Escape Plan) भी उपलब्ध रहे। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व प्राधिकरण को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सके।
24. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर रीजन भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
25. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरित निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
27. भवन निर्माण के समय सामग्री से आस-पास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
28. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भूकम्प रोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
29. भवन निर्माण इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय के जमा कराना होगा, उसके पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

संलग्न:- अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति का एक सैट



उपस्थित
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण

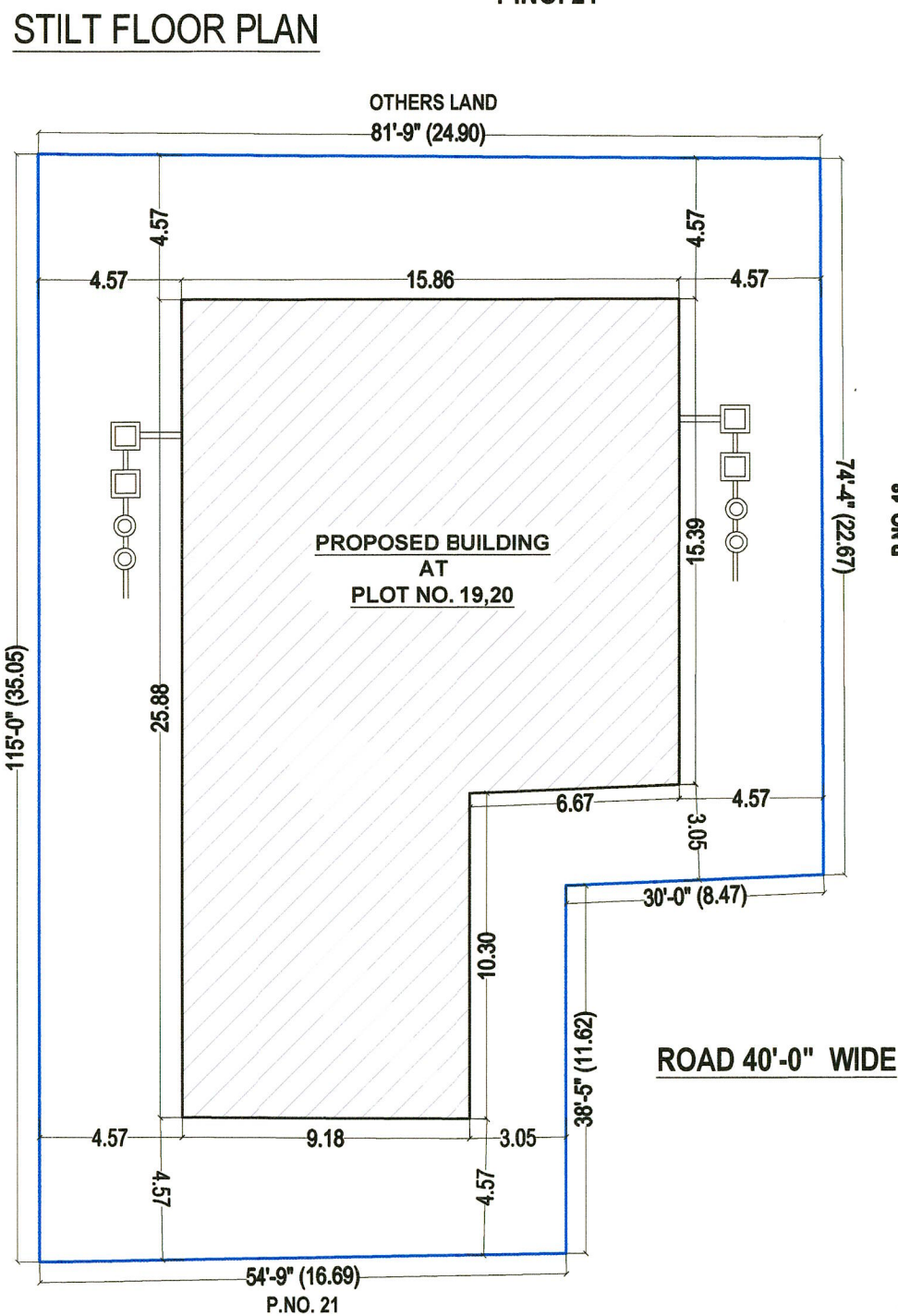
AARADHYA GOVIND DEVELOPERS

Partner
PARTNER

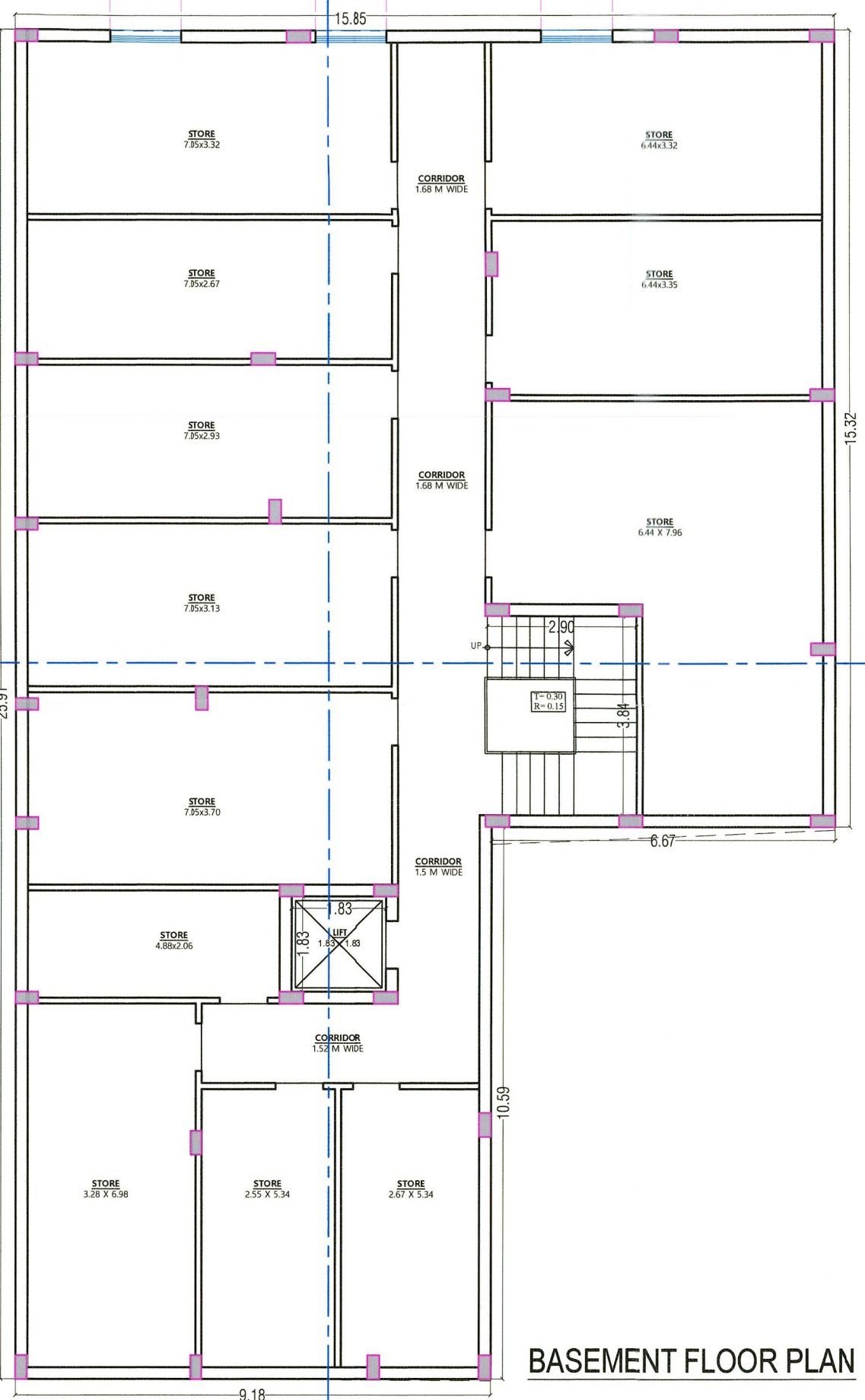
सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैंक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

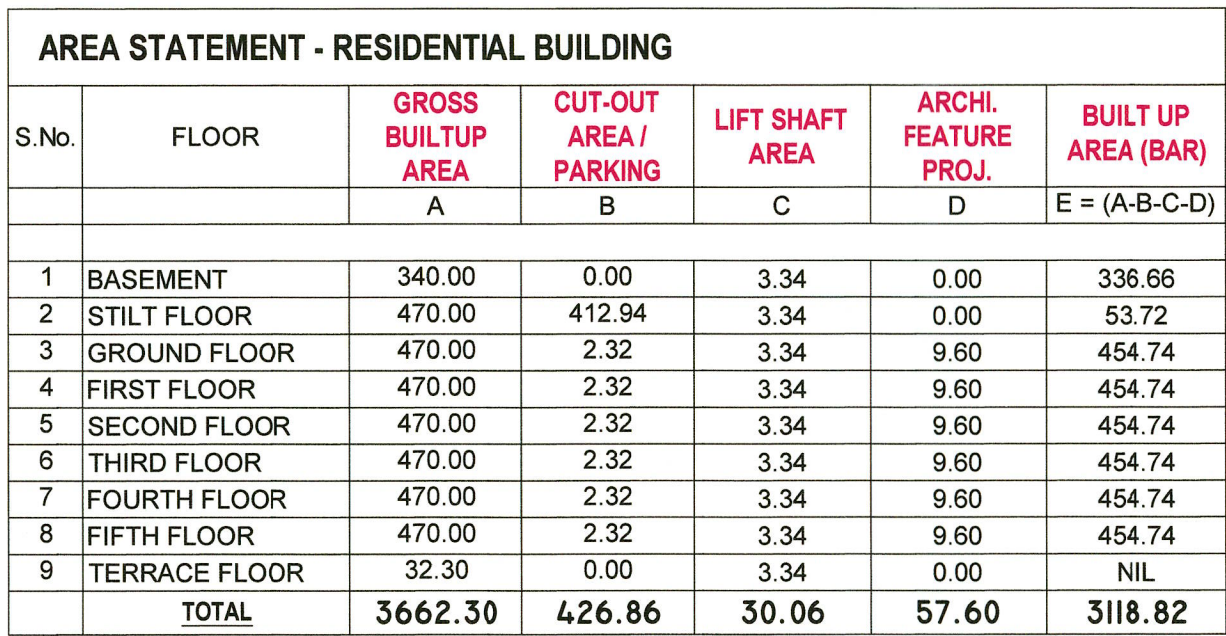


SITE PLAN & WATER HARVESTING PLAN
(SCALE - 1:200)



TYPICAL FLOOR PLANS (GROUND, 1-4 FLOOR)

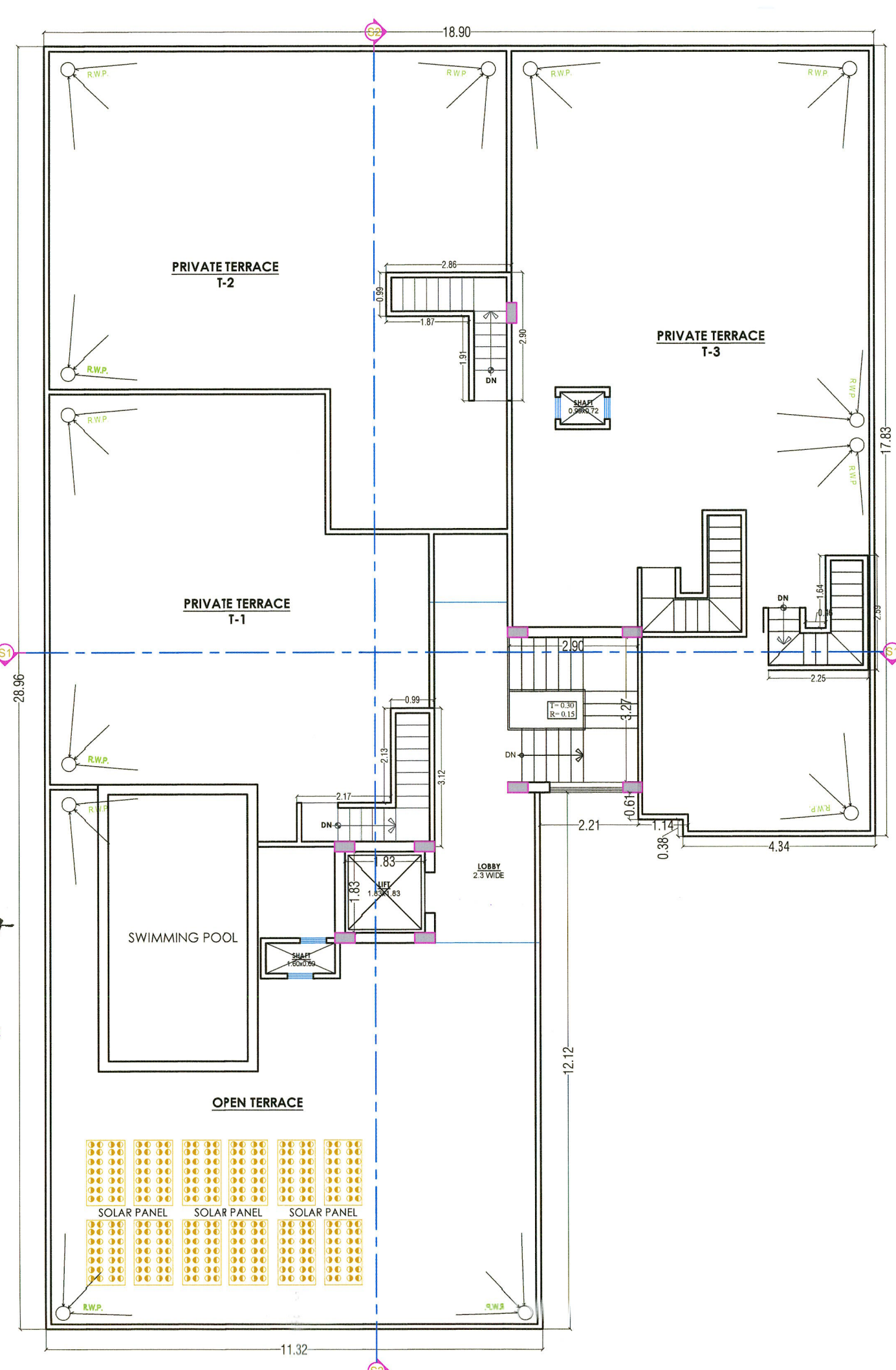
BASEMENT FLOOR PLAN



FIFTH FLOOR PLAN

S.NO.	REFERENCE
1	TOTAL PLOT AREA = 923.76 SQ.YD. ~ 772.37 SQ.M.
2	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACKS
3	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACKS
4	PERMISSIBLE HEIGHT OF BUILDING = 18.0 M + STILT
5	PROPOSED HEIGHT OF BUILDING = 18.0 M + STILT
6	REQUIRED LANDSCAPE AREA (10%) = 77.23 SQ.M.
7	PROPOSED LANDSCAPE AREA (10%) = 78.00 SQ.M.
8	REQUIRED COMMUNITY HALL AREA = 50.00 SQ.M.
9	PROPOSED COMMUNITY HALL AREA = 53.72 SQ.M.
10	TOTAL DWELLING UNITS = 04 UNIT X 6 FLOORS = 24 UNITS
11	REQ. PARKING
	RESIDENTIAL
	1 ECU PER 115 SQ.M. RESIDENTIAL AREA = 3118.82 / 115 = 27.12 ECU + 10% VISITORS = 29.83 ECU (75% CAR, 25% SCOOTER) 75% ~ 22.3 ECU ~ 22 CARS 25% ~ 7.4 ECU x 3 ~ 22 SCOOTERS
	TOTAL REQUIRED
	= 22 CAR = 22 SCOOTERS
12	PROVIDED PARKING
	CARS = 22 CARS SCOOTERS = 22 SCOOTERS

Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding to further construction.



TERRACE FLOOR PLAN

अनुमोदित
पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ।

सहायक नगर नियोजक
पी.आर.एन.(दक्षिण) छत्तीसगढ़ जयपुर

सपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PROJECT:

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO.
19 & 20, ASHOK VIHAR, GRAM-MANYAVAS,
TEH.-SANGANER, DIST. -JAIPUR, RAJ.

DRAWING TITLE:

FLOOR PLANS

DRG NO

1

ARCHITECT:

SURYA PRAKASH DESIGN STUDIO
ARCHITECTS. INTERIOR DESIGNERS. LANDSCAPES

B-22, Ganesh Marg, Bapu Nagar, Jaipur - 302015

Ph.: +91-9783600926

E-Mail: spdsjaipur@gmail.com

<u>NORTH:</u>	<i>N</i>	<u>SCALE:</u>	<u>DATE:</u>
---------------	----------	---------------	--------------

	1.182	25.01.20
---	-------	----------

	1:100	25.01.20
---	-------	----------

THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SURYA PRAKASH DESIGN STUDIO AND IS NOT

THIS IS THE SOLE PROPERTY OF SANTA MONICA DESIGN STUDIO AND IS NOT
USED OR REPRODUCED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN FOR WHICH IT HAS BEEN L

ARCHITECT SIGN: _____ OWNER SIGN: _____

PRAKASH *Spokane*

Reg. No.:
AARADHYA GOVIND DEVELOPMENT

CA/2018/78233
M.Flan., B. Arch.

ALLA, A.T.P.,
M.CoA.




Applicant shall ensure construction checked at plan level before proceeding with further construction.



जौन-पीआरएम (दक्षिण-दक्षिण)
अजयपुर विकास प्राधिकरण, अजयपुर



ARCHITECT SIGN:  <i>[Signature]</i>	OWNER SIGN: AARADHYA GOVIND DEVELOPERS <i>[Signature]</i> PARTNER
--	---

Perkash
PARTNER

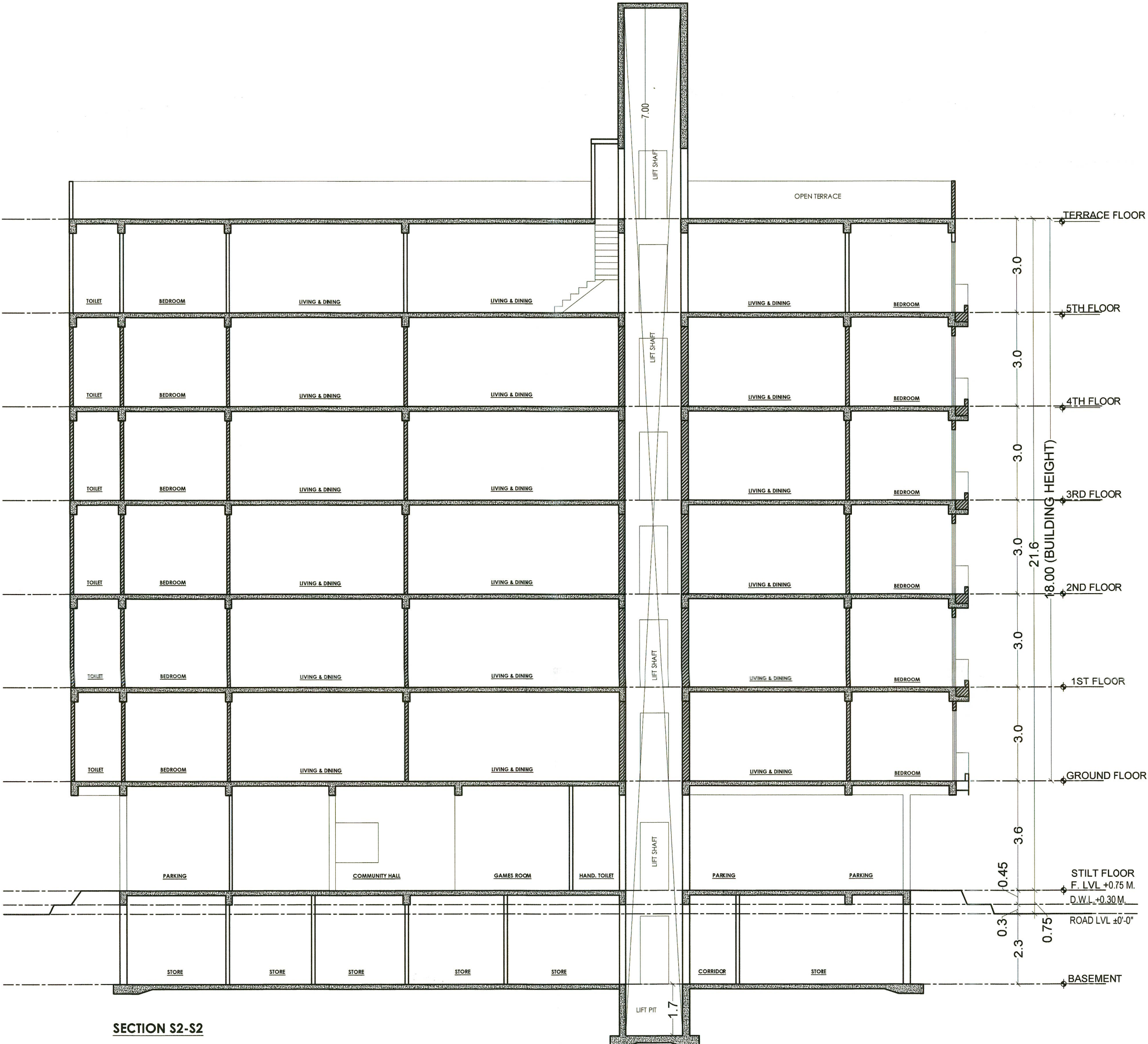
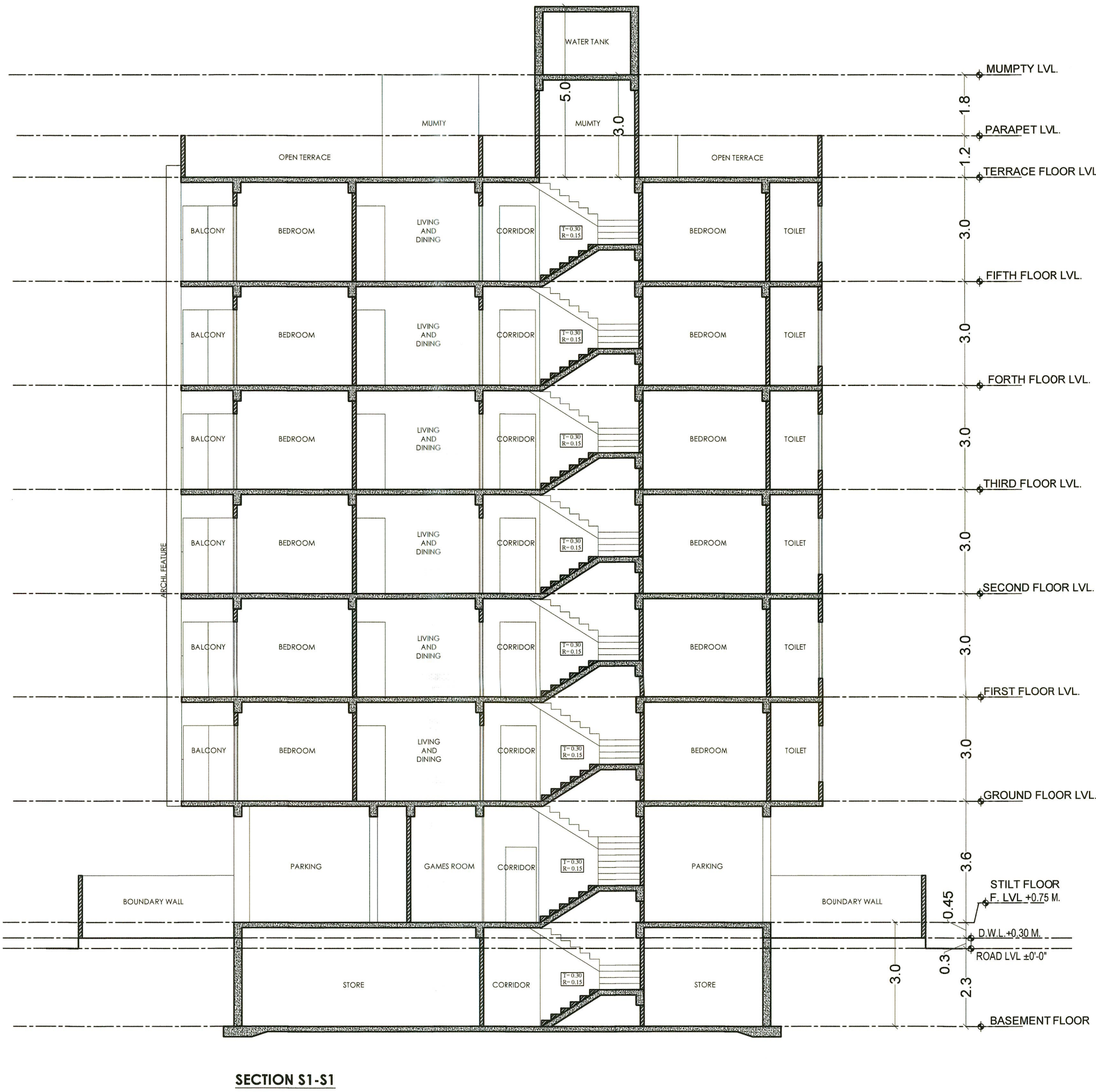
जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन नगर) विनियम 2020 की धारा 12 के विरुद्ध निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जजिमा द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन नगर) विनियम 2020 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार भू-प्लान डॉक्यूमेंट का प्रस्तावित का भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जजिमा द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रस्तावित भूमि/खण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और न ही दूसरे किसी के स्वामित्व संबंधित अधिकार की प्रमाणित होने। नीचे किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Structure) का स्थायित्व प्रमाण का होगा।

प्रकल्प को जैन सहयोग प्रमाणित दिनांक 02-02-2024 को रखा जायेगा। प्रकल्प के मकान मानचित्र फाईल जजिमा/रजि. प्रमाणित दिनांक 02-02-2024 से 204 दिनांक 06-02-2024 को जारी कर अनुमोदित किये गये हैं।

Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding be further construction.



अनुमोदित
पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ।

सहायक नगर नियोजक
पी.आर.एन. (दक्षिण) जजिमा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

AARADHYA GOVIND DEVELOPERS
PARTNER

PROJECT: PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. 19 & 20, ASHOK VIHAR, GRAM-MANYAVAS, TEH.-SANGANER, DIST. -JAIPUR, RAJ.		
DRAWING TITLE: SECTIONS		DRG NO: 3
ARCHITECT: SURYA PRAKASH DESIGN STUDIO ARCHITECTS. INTERIOR DESIGNERS. LANDSCAPES B-22, Ganesh Marg, Bapu Nagar, Jaipur - 302015 Ph.: +91-9783600926 E-Mail: spdsjaipur@gmail.com		
NORTH: N S W E	SCALE: 1:100	DATE: 25.01.2024
THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SURYA PRAKASH DESIGN STUDIO AND IS NOT TO BE COPIED, USED OR REPRODUCED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN FOR WHICH IT HAS BEEN LOANED.		
ARCHITECT SIGN: SURYA PRAKASH Reg No. CA2016/78235 M.F.S.P. B. Arch. ALLA, A.I.T.P. M.C.A.		OWNER SIGN: AARADHYA GOVIND DEVELOPERS PARTNER